भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पटना
Project Implementation Unit, Patna
क्लासिकॉन शिवमित्रा (Classicon's Shivmitra)
विवेकानन्द मार्ग, बोरिंग रोड, पटना - 800 013
Vivekanand Marg, Boring Road,
Patna - 800 013. Ph. : 0612-2571184
Email : patna@nhai.org | nhaipatna@gmail.com

पत्रांकः भाराराप्रा/पकाई/पटना/आरा–सासाराम/वन/2023/२५। दिनांकः 13.03.2023

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
भोजपुर वन प्रमंडल, आरा।

विषयः (क) भारतमाला परियोजना के तहत भोजपुर जिलान्तर्गत आरा–सासाराम (सकलास–पतर) (40.45–84.30 कि0मी0) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 22.716 हे0 वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

(ख) भारतमाला परियोजना के तहत पटना एवं भोजपुर पटना जिलान्तर्गत आरा–सासाराम पथांश सदिशोपुर–असनी (0.00–34.800कि0मी0) (Lot-7/Package-2) (रिंग रोड) पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.964 हे0 वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

संदर्भः (1) आपके कार्यालय का पत्रांक 729 दिनांक 10.03.2023
(2) आपके कार्यालय का पत्रांक 734 दिनांक 10.03.2023

महाशय्

उपरोक्त प्रासांगिक पत्र का संज्ञान लिया जाए जिसमें आपके द्वारा विषयगत निर्माण प्रस्ताव के ले–आउट में बदलाव कर अधिक से अधिक वृक्षों का यथास्थिति एवं पुनर्स्थापन करने की बात की गई है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119A पटना–आरा–सासाराम के संरेखन के finalization के दौरान निम्नलिखित वैकल्पिक मार्गों पर अध्ययन किया गया था :–

<u>विकल्प 1</u>:– सुआरा (एनएच–19 पर) से पतर (आरा के पास) तक बिक्रमगंज, पीरो और गढ़नी बाईपास से और आगे लिंक रोड द्वारा सदिशोपुर में जुड़ते हुए तथा आरा–मोहनियां रोड पर असनी से जुड़ते हुए।

<u>विकल्प 2</u>:–सुआरा (एनएच–19 पर) से गढ़नी तक ग्रीनफिल्ड एलाइंमेंट और मौजूदा एलाइंमेंट के साथ पतर तक और आगे लिंक रोड द्वारा सदिशोपुर में जुड़ते हुए तथा आरा–मोहनियां रोड पर असनी से जुड़ते हुए।

चूंकि विकल्प 1 में लगभग 80 कि0मी0 मौजूदा एसएच–12 का उपयोग कर निर्माण किया जाना था, अतः विकल्प 2 की तुलना में वन भूमि अपयोजन हेतु लगभग 150 हे0 अतिरिक्त संरक्षित वन क्षेत्र एवं 10 से 15 हजार पेड़ प्रभावित होना संभावित था। अतः न्यूनतम प्रस्तावित संरक्षित वन क्षेत्र और पेड़ों की संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्त्तमान संरेखन विकल्प 2 को final किया गया जिसमें कि 10 कि0मी0 existing हाइवे तथा शेष हाइवे green field प्रस्तावित है। वैकल्पिक मार्गों की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्नित है।

यह भी सुचित करना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119A के सुआरा (सासाराम)–पतर (भोजपुर) (4.3 कि0मी0 असनी स्पर के साथ) की निविदा प्रक्रिया पूर्ण की जा चुँकि है। यथा इस stage पर alignment ले–आउट में कोई भी बदलाव परियोजना की प्रगति को बाधित कर सकता है।

Head Office : G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110075, जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075
दूरभाष/Phone : 91-11-25074100/25074200, फैक्स / Fax : 91-11-25093507 / 25093514, Website : www.nhai.gov.in

ज्ञात हो कि यह परियोजना एक महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक एवं वाणिज्यिक मार्ग है एवं इस परियोजना का शिलान्यास मान्नीय प्रधानमंत्री द्वारा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया गया था। इसलिए परियोजना को ससमय पूर्ण होना अत्यावश्यक है। अतः आपसे अनुरोध है कि विषयगत वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

13/03/23

(अमित रंजन चित्रांशी)
परियोजना निदेशक

प्रतिलिपिः (1) क्षेत्रीय पदाधिकारी, भाराराप्रा, बिहार, पटना।
(2) डी0पी0आर एजेंसी मेसर्स एम0एस0भी।

कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमण्डल, आरा।

कानन कोठी, धनुपरा, आरा, पिन–802301, E-mail -dfobhojpurfdivision@gmail.com

पत्रांक– ......729...... /

प्रेषक,

राज कुमार. एम, भा०व०से०
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
भोजपुर वन प्रमण्डल, आरा।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग,
प्राधिकरण परियोजना कार्यान्चयन इकाई, पटना,
क्लासिकॉन शिवमित्रा, विवेकानन्द मार्ग,
बोरिंग रोड, पटना 800013, Email. Patna@nhai.org/nhaipatna@gmail.com

दिनांक ....10.... / ...03... / 2023

विषय :– भारतमाला परियोजना के तहत् पटना एवं भोजपुर पटना जिलान्तर्गत आरा–सासाराम पथांश सदिशोपुर–असनी (0.00–34.800 कि0मी0) (Lot-7/Package) (रिंग रोड) पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 1.964 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :– आपका कार्यालय का पत्रांक 171 दिनांक 20.02.2023 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 625 दिनांक 28.02.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि भारतमाला परियोजना के तहत् पटना एवं भोजपुर पटना जिलान्तर्गत आरा–सासाराम पथांश सदिशोपुर–असनी (0.00–34.800 कि0मी0) (Lot-7/Package) (रिंग रोड) पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 1.964 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रासंगिक पत्र द्वारा वृक्ष सुरक्षा योजना, वृक्ष गणना सूचि एवं Typical Crossection of Proposed Road का अभिलेख प्राप्त हुआ है। प्राप्त अभिलेखों के अवलोकनोंपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 04.03.2023 को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण/भ्रमण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विषयक परियोजना के आलोच्य स्थल पर किसी भी वृक्ष को यथास्थिति रखे बिना कुल 234 वृक्षों में से 80 वृक्षों का पातन एवं 154 वृक्षों का पुनर्स्थापन किया जाना है।

विभागीय अधिसूचना संख्या 974(ई0) दिनांक 26.07.2019 द्वारा किसी भी परियोजना निर्माण के क्रम में कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने का प्रावधान है। ऐसे वृक्ष जो Working Area में आते है, उनकी पर्यावरणीय महत्ता को देखते हुए निर्माण के ले–आउट में बुद्धिमतापूर्ण बदलाव कर अधिक से अधिक वृक्षों का यथास्थिति एवं पुनर्स्थापन कर वृक्षों को बचाया जा सकता है। वृक्ष सुरक्षा योजना की सारणी निम्नवत् है, जिसमें आवश्यक प्रविष्टियॉ अंकित कर इस कार्यालय में भेजा जाना अपेक्षित है।

क्र0 सं0	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	वृक्षों की कुल संख्या	वृक्षों की संख्या			अभियुक्ति
				पातन	पुनर्स्थापन	यथास्थिति	
1	2	3	4	5	6	7	8

अतः अनुरोध है कि प्रस्तावित परियोजना के डिजाईन में परिवर्तन कर वृक्ष सुरक्षा योजना का अभिलेख यथाशीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
भोजपुर वन प्रमण्डल, आरा।

D:\2023\Chaurikaran\Letter\10-03-2023.docx

कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमण्डल, आरा।

कानन कोठी, धनुपरा, आरा, पिन–802301, E-mail -dfobhojpurfdivision@gmail.com

पत्रांक– 734 /

प्रेषक,

राज कुमार. एम, भा0व0से0
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
भोजपुर वन प्रमण्डल, आरा।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग,
प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पटना,
क्लासिकॉन शिवमित्रा, विवेकानन्द मार्ग,
बोरिंग रोड, पटना 800013
Email. Patna@nhai.org/nhaipatna@gmail.com

दिनांक 10 / 03 / 2023

विषय :– भारतमाला परियोजना के तहत् भोजपुर जिलान्तर्गत आरा–सासाराम (सकलास–पतरा) (40.45–84.30 कि0मी0) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 22.716 हे0 वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 170 दिनांक 20.02.2023 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 624 दिनांक 28.02.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि भारतमाला परियोजना के तहत् भोजपुर जिलान्तर्गत आरा–सासाराम (सकलास–पतरा) (40.45–84.30 कि0मी0) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 22.716 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रासंगिक पत्र द्वारा वृक्ष सुरक्षा योजना, वृक्ष गणना सूचि एवं Typical Crossection of Proposed Road का अभिलेख प्राप्त हुआ है। प्राप्त अभिलेखों के अवलोकनोंपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 04.03.2023 को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण/भ्रमण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विषयक परियोजना के आलोच्य स्थल पर किसी भी वृक्ष को यथास्थिति रखे बिना कुल 4177 वृक्षों में से 677 वृक्षों का पातन एवं 3500 वृक्षों का पुनर्स्थापन किया जाना है।

विभागीय अधिसूचना संख्या 974(ई0) दिनांक 26.07.2019 द्वारा किसी भी परियोजना निर्माण के क्रम में कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने का प्रावधान है। ऐसे वृक्ष जो Working Area में आते है, उनकी पर्यावरणीय महत्ता को देखते हुए निर्माण के ले–आउट में बुद्धिमतापूर्ण बदलाव कर अधिक से अधिक वृक्षों का यथास्थिति एवं पुनर्स्थापन कर वृक्षों को बचाया जा सकता है। वृक्ष सुरक्षा योजना की सारणी निम्नवत् है, जिसमें आवश्यक प्रविष्टियॉ अंकित कर इस कार्यालय में भेजा जाना अपेक्षित है।

क्र0 सं0	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	वृक्षों की कुल संख्या	वृक्षों की संख्या			अभियुक्ति
				पातन	पुनर्स्थापन	यथास्थिति	
1	2	3	4	5	6	7	8

अतः अनुरोध है कि प्रस्तावित परियोजना के डिजाईन में परिवर्तन कर वृक्ष सुरक्षा योजना का अभिलेख यथाशीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
भोजपुर वन प्रमण्डल, आरा।

D:\2023\Chaurikaran\Letter\10-03-2023 (1).docx